जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
22/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2016 अनवानी रूघाराम चौधरी पुत्र नारायणराम चौधरी निवासी 1–अ नारायण निवास, खेंगार नगर, खेमा का कुआं, पाल रोड जोधपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी पदेन अपर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रूघाराम चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. जिला श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में कितने राजस्व न्यायालय है जिला कलक्टर अपर जिला कलक्टर सहायक जिलाधीश में नियुक्त कौन कौन पीठासीन अधिकारी विधि स्नातक है।
2. प्रत्येक राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने में कार्यरत क0लि0 व0लि0, पेशकार, आशुलिपिक के कितने कितने पद स्वीकृत है उनमें से कितने पद रिक्त है?
3. प्रत्येक राजस्व न्यायालय में कितने कितने मूल वाद विविध वाद राजस्व प्रार्थना पत्र एवं अपीलें विचाराधीन हैं। प्रत्येक वाद की सूचना ?

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध होते हुए भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है। उसके द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 275 दिनांक 17.02.2016 प्रस्तुत किया है कि बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना स्थापना शाखा द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी है व बिन्दु सं0 3 की सूचना उनके द्वारा जरिये पत्र सं0 131 दिनांक 31.01.16 से अपीलार्थी को दी जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 एफ.1(23)(11)स्था./13/8572 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टरस/ उपजिला कलक्टरस/तहसीलदार/उपतहसीलदार के कार्यालयो में लिपिक ग्रेड II/लिपिक ग्रेड–I/आशुलिपिक/कार्यालय सहायक के स्वीकृत व रिक्त पदो की सूचना अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है व राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु सं0 3 की सूचना पत्र सं0 131 दिनांक 29.01.16 के द्वारा राजस्व प्रकरणो के मानचित्र की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त तीन बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

हालांकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक रूप में थी फिर भी लोक सूचना अधिकारी सूचना ढूंढकर, तैयार कर उक्तानुसार अपीलार्थी को दी जा चुकी है। इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

15-16 31/03/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर